# न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी, मसूदा, जिला अजमेर
## राजस्व वाद सख्ंया–14/2013

1. बाबू पुत्र श्री प्रताप पुत्र श्री भीमा
2. किशन पुत्र श्री प्रताप पुत्र श्री भीमा
3. सोहन पुत्र श्री प्रताप पुत्र श्री भीमा
4. श्रीमती बदामी पत्नी श्री हीरा पुत्र श्री प्रताप पुत्र श्री भीमा बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 श्रीप्रताप पुत्र श्री भीमा। समस्त जाति मेहरात निवासियान ग्राम बानोता का बाडिया श्यामगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0

......वादीगण

**बनाम**

1 श्री छोटू पुत्र स्व0 श्री मेथा (अब मृतक) बजरिये उसके विधिक वारिसान
1/1 श्रीमती भरजी पत्नी स्व0 श्री छोटू (मृतक)
1/2 श्री मंगल सिंह पुत्र श्री स्व0 छोटू
1/3 श्रीअमर सिंह पुत्र स्व0 श्री छोटू
1/4 श्री उगम सिंह पुत्र स्व0 श्रीछोटू

समस्त जाति मेहरात निवासियान ग्राम बानोता का बाडिया (श्यामगढ़) तहसील मसूदा हाल निवासी भीम जी की बेरी शेरगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर

2 श्रीकिशन पुत्र श्री मेथा
3 श्रीसुवा पुत्र श्री मेथा
4 श्रीअणदा पुत्र श्री मेथा
5 श्री बज्जा पुत्र श्री मेथा
6 श्रीसोहन पुत्र श्री मेथा
7 श्री जय सिंह पुत्र श्री मेथा
बहैसियत स्वयं एवं बहैसियत वारिस काबिज जायदाद स्व0 श्री मेथा पुत्र श्री भीमा पुत्र श्री शेरा ।

8 श्रीघीसा पुत्र श्री लाला पुत्र श्री भीमा पुत्र श्री शेरा जी (अब मृथक) बजरिये उसके विर्धिक वारिसान
8/1 श्रीमति जमरी पत्नी स्व0 धीसा
8/2 श्रीभागू सिंह पुत्र स्व0 श्री घीसा
8/3 गोपाल सिंह पुत्र श्री घीसा
8/4 धर्मा पुत्र श्री धीसा
8/5 सावर पुत्र श्री घीसा
8/6 सुखदेव पुत्र श्री घीसा
8/7 समदी पुत्र श्री घीसा

समस्त जाति मेहरात निवासी गांव भीम जी की बेरी शेरगढ़ तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0

9 श्री मोहन पुत्र श्री नैनापुत्र श्री भीमा पुत्र श्री शेरा बहैसियत स्वयं व बहैसियत वारिस काबिज जायदाद नैना पुत्र श्री भीमा पुत्र श्री शेरा।
10 श्रीलक्ष्मण पुत्र श्री हजारी पुत्र श्री बख्तावर
11 मंगला पुत्र श्री रूपा पुत्र श्री कूपा पुत्र श्री बख्तावर
12 श्रीमंगला पुत्र श्री पन्ना पुत्र श्री रामा
13 श्रीबन्ना पुत्र श्री पन्ना पुत्र श्री रामा
14 श्री लक्ष्मण पुत्र श्री नीम्बा पुत्र श्री रामा

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

15 श्री हनुमान पुत्र श्री अजीमा पुत्र श्री रामा
16 श्री प्रभू पुत्र श्री अजीमा पुत्र श्री रामा
17 श्री अमर सिंह पुत्र श्री अजीमा पुत्र श्रीरामा
समस्त जाति मेहरात निवासियान ग्राम बानोता का बाडियां (श्यामगढ़) तहसील मसूदा जिला अजमेर राज0
18 राजस्थान सरकार बजरिय तहसीलदार साहब मसूदा

.....प्रतिवादी

## वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,188 राज काश्तकारी अधिनियम सपठित धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

## निर्णय

वादीगण ने इस वादपत्र में साराशतः निवेदन किया है कि मौजा श्यामगढ़ भू0 अ0 नि0 क्षेत्र खरवा तहसील मसुदा जिला अजमेर स्थित आराजी साबिक खसरा न0 511 हाल न0 1118 रक्बा 01–06–00 बीघा व 512 हाल न0 1119 रक्बा 03–00–10 बीघा व 514 हाल न0 1121 रक्बा 00–19–10 बीघा व 515 हाल न0 1122 रक्बा 01–04–00 बीघा कुल किता 4 रक्बा 06–10–00 बीघा भूमिफसली सन् 1350 में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के बुर्जुग स्व0 रूपा ,हजारी व चन्दा पिता बख्तावर एवं भीमा ,रामा ,दुला पिता शेरा कौम मेहरातान के नाम चली आ रही है। इन भूमियों को जमाबंदी संवत् 2023–2026 में रूपा ,हजारी पिता बख्तावर व पन्ना ,नीम्बा व अजीमा पिता रामा व लाला वल्द हुक्मा उर्फ दुला की खातेदारी में अंकित कर दी गई जबकि उक्त खातेदारान के साथ स्व0 भीमा पुत्र शेरा के पुत्रान प्रताप,मेथा,लाला व नैना का भी नाम सहखातेदारान के रूप में अंकित किया जाना चाहिये था तथा इनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 का नाम अंकित किया जाना चाहिये था लेकिन राजस्व कारकूनो की गलती के कारण अंकित नहीं किये जा सके है। इसी अनुसार आगे की जमाबंदी संवत् 2042 से 2045 बनी है। ऐसा करने से पूर्व सक्षमाधिकारों द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को विधिक रूप से नहीं सुना गया जबकि उनका कब्जा काश्त उक्त विवादित भूमियों में लगातार चला आ रहा हैं। जिसके कारण हम वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 अपने अधिकारों से वचिंत हो गये है और प्रतिवादी संख्या 10 से 17 को इसकी जानकारी होने पर वे हमें बेदखल करने एवं विवादित भूमियों को दीगर व्यक्तियों को बेचने पर आमादा है। वादीगण स्वयं एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को इन भूमियों में खातेदार होने की धोषणा करवाने के अधिकारी है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण को उक्त विवादित आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को सहखातेदार धोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 17 को विवादित आराजी से हमें बेदखल करने एवं इस आराजी को दीगर व्यक्तियों को विक्रय आदि से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा निषेध किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

प्रतिवादीगण संख्या 5 व 10 से 17 के विरूद्व दिनांक 06/06/14 को एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 9 जवाब दावा पेश किया जिसमें उन्होंने वाद पत्र को सही ठहराते हुए स्वीकार किया ऐसी स्थिति में तनकी कायम करने की आवश्कता प्रतिपादित नहीं होती हैं। वादी बाबू ने

अपने बयान शपथ पत्र में वाद कथन ही दोहराए है और लिखित बहस भी कमोबेश वाद कथनानुसार ही पेश की गई है। दिनांक 20.11.2015 को वादी बाबू ,किशन व सोहन असालतन बकालतन हाजिर आये वहीं वकील प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 से 9 उपस्थित आये और उन्होंने वाद डिक्री करने का आदेशिका पर अंकन किया।

उन्हे सुना गया और पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रदर्स 5 मौजा श्यामगढ की फसली 1350 की प्रमाणित प्रति है जिसमें खसरा न0 508,509,511,512,513,514,व 515 कुल किता 7 रक्बा 08–12–00 बीघा भीया ,रामा ,दुला पिता शेरा व रूपा ,हजारी ,चन्दा पिता बख्तावर की खुद काश्त से काश्तकारी में दर्ज है। इनमें से मात्र विवादित आराजी 511,512,514 व 515 जिसके प्रदर्श 1 मिलान क्षेत्रफल अनुसार कमशः हाल खसरा न0 1118,1119,1121 व 1122 बने है जिनमें वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम अंकित नहीं किये गये हैं। विधि के आज्ञापक प्रावधानानुसार सेटलमेंट एवं राजस्व कारकूनों को पूर्ववत इन्द्राजात ही आगे की जमाबंदियों दर्ज करने के अधिकार थे एसी स्थिति में जिन नम्बरों में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 के नाम नहीं लगायें गये है वे अपना नाम लगवाने के अधिकारी पाये जाते है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है तथा बहक वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 विरूद्व प्रतिवादी संख्या 10 से 18 डिकी किया जाकर मौजा श्यामगढ़ भू0अ0नि0 क्षेत्र खरवा तहसील मसूदा जिला अजमेर स्थित साबिक आराजी न0 511,512,514,व515 जिसके हाल न0 1118,1119,1121 व 1122 है में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को प्रतिवादी संख्या 10 से 17 के साथ सहखातेदार धोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी संख्या 10 से 17 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को उनके कब्जे काश्त से बेदखल किये जाने तथा विवादित आराजी को दीगर व्यक्तियों को बचने रहन रखने आदि से निषेध किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14/12/2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा,

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2020.02.14 16:41:28 IST
Reason: SelfAttested
Location: